न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या.. 11 / 2022

तहसीलदार शाहपुरा बनाम कैलाशचन्द वगैरह

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 14.10.2022

तहसीलदार शाहपुरा के पत्र कमांक आरए / 2021 / 674 दिनांक 20.7.2022 के द्वारा संलग्न मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एवं नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बरान 6338 रकबा 0.08 है0, भूमि पर मौके पर चालू आम रास्ता विधमान है जिसकी मौके अनुसार रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट के तहत तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त हुआ है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी में मौके पर कच्चा रास्ता चालू होना बताया है,। प्रेषित प्रस्ताव में यह भी अंकन किया कि प्रश्नागत आराजी में रास्ता चालू है तथा उक्त खसरे की आकृति रास्तेनुमा ही है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि रास्ते के ही काम आ रही है, । प्रश्नागत आराजी के अधिकांश खातेदारो में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने की सहमति भी दी है। रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा व सरपंच ग्राम पंचायत टोडी के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्ते का समाधान होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप3(2)राज–6 / 2003 / पाट्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम टोडी तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा खसरा नम्बरान 6338 रकबा 0.08 है0,निजी खातेदारी में से (मुताबिक नजरी नक्शा ट्रेस) भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक आदेश एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ते की नक्शा ट्रेस में तरमीम संशोधन की जावे।

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)
दिनांक : 14/10/22

क्रमांकःराजस्व / 2022 / 497 – 498

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 . तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ।

2 . रक्षित पत्रावली।

(मनमोहन)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)